कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
सोन बराज प्रमण्डल, इन्द्रपुरी,(रोहतास)
अति–अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना सं0–02/2026–27
(केवल ई–टेन्डर पद्धति के अनुसार वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर)

पत्रांक : 914 इन्द्रपुरी, दिनांक : 08/06/2026

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सोन बराज प्रमंडल,इन्द्रपुरी अन्तर्गत अवर प्रमंडल पदाधिकारी बराज एवं शिविर अवर प्रमंडल, इन्द्रपुरी के विभागीय एवं अन्य सरकारी कार्यों के निष्पादन हेतु भाड़े पर एक अदद बोलेरो वाहन निम्नांकित शर्तो के अधीन वाहन मालिकों/फर्म से अतिअल्पकालीन कोटेशन आमंत्रित किया जाता है।

1	कोटेशन आमंत्रण सूचना निर्गत करने की तिथि	दिनांक 08.06.2026
2	कोटेशन जमा करने की तिथि एवं समय	दिनांक 16.06.2026 समय 3:00 बजे अपराह्न
3	कोटेशन जमा करने का स्थान	कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, सोन बराज प्रमंडल, इन्द्रपुरी (रोहतास), बिहार।
4	कोटेशन खोलने की तिथि एवं समय	16.06.2026 समय 3:00 बजे अपराह्न
5	विज्ञापन दाता का नाम एवं पता	कार्यपालक अभियंता, सोन बराज प्रमंडल, इन्द्रपुरी (रोहतास), बिहार।

कोटेशन की तकनीकी शर्तें

1. वाहन का वैध वाणिज्यिक निबंधन प्रमाण–पत्र, अद्यतन प्रदुषण नियंत्रण प्रमात्र–पत्र (P.U.C), अद्यतन रोड़ टैक्स, अद्यतन फिटनेस प्रमाण–पत्र तथा वाहन का वैध इंश्योरेंस कोटेशन के साथ समर्पित करना होगा।
2. वाहन मालिक का आधार नम्बर, पैन नम्बर एवं जी०एस०टी० नम्बर कोटेशन के साथ समर्पित करना होगा।
3. वाहन चालक के पास अद्यतन एवं वैध व्यवसायिक ड्राईविंग लाईसेंस होना चाहिए।
4. कोटेशनदाता को वित्तीय दर निम्नांकित प्रपत्र में उद्धृत करना होगा।

क्र०सं०	वाहन का प्रकार	इंधन रहित मासिक भाड़ा का दर (सभी करों सहित)

नियम एवं शर्तें

1. भाड़े पर वाहन एकरारनामा की तिथि से दिनांक 31.10.2026 तक रखने के लिए एकरारनामा किया जायेगा।
2. वाहन अच्छी स्थिति एवं कार्यरत अवस्था में होना चाहिए।
3. वाहन मालिक/ आपूर्तिकर्ता/फर्म का वैध पैन एवं जी०एस०टी० नम्बर होना चाहिए।
4. वाहन का दैनिक रख–रखाव (चालक सहित), साफ–सफाई एवं उसके सभी प्रकार के मरम्मति इत्यादि पर होने वाले व्यय वाहन मालिक/ आपूर्तिकर्ता/फर्म द्वारा किया जायेगा।
5. वाहन चालक का मानदेय भुगतान, आवासन एवं भोजन आदि की व्यवस्था वाहन मालिक/ आपूर्तिकर्ता/फर्म की होगी।
6. वाहन का वैध प्रमाण–पत्र, प्रदुषण नियंत्रण प्रमात्र–पत्र (P.U.C), रोड़ टैक्स, अद्यतन फिटनेस प्रमाण–पत्र तथा वाहन का वैध इंश्योरेंस आदि मोटन वाहन अधिनियम के अनुसार अद्यतन रखने की जिम्मेवारी वाहन मालिक/ आपूर्तिकर्ता/फर्म की होगी।
7. नियमानुकुल सभी प्रकार के करों एवं अन्य शुल्क अदेयता की जिम्मेवारी वाहन मालिक/ आपूर्तिकर्ता/फर्म की होगी।
8. वाहन चालक के पास अद्यतन एवं वैध ड्राईविंग लाईसेंस होना चाहिए।
9. वाहन की चोरी एवं दुर्घटना अथवा अन्य क्षति होने पर चालक सहित जिम्मेवारी वाहन मालिक/ आपूर्तिकर्ता/फर्म की होगी।
10. वाहन के उपयोग विरूद्ध मात्र किराया (इंधन रहित) देय होगा।
11. मासिक न्यूनतम दर जिलाधिकारी रोहतास द्वारा स्वीकृत दर के बराबर या न्यूनतम उद्धृत दर के

कोटेशनदाता के साथ एक हजार मात्र के स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा किया जायेगा और उन्हे वाहन उपलब्ध कराने का आदेश दिया जायेगा।

12. आवश्यकतानुसार वाहन का उपयोग दिन एवं रात्री में किया जा साकता है, तथा सरकारी कार्य निष्पादन के क्रम में वाहन मुख्यालय से बाहर भी जा सकता एवं रह सकता है। इस हेतु कोई अतिरिक्त शुल्क/किराया का दावा मान्य नहीं होगा।
13. वाहन का उपयोग वाहन मालिक/ आपूर्तिकर्ता/फर्म द्वारा निजी या अन्य व्यवसायिक कार्यों में नहीं किया जायेगा।
14. वाहन उपयोग हेतु 24 घंटें संबंधित पदाधिकारी के नियंत्रण में रहेगा एवं किसी भी परिस्थिति में बिना अनुमति में कार्यालय परिसर से बाहर नहीं जायेगा।
15. वाहन खराब हो जाने पर वाहन मालिक/आपूर्तिकर्ता/फर्म का दायित्व होगा कि वे तुरंत दूसरा वाहन उपलब्ध करायेंगे, अगर वे ऐसा नहीं करते है तो उस दिन का भाड़ा का भुगतान दो–गुणे दर से कटौती कर ली जायेगी।
16. वाहन माईलेज वास्तविक रूप से डाले गए इंधन (डिजल/पेट्रोल) अथवा दस कि०मी० प्रति लीटर में से जो भी अधिक होगा मान्य होगा।
17. आमंत्रित कोटेशन को बिना बताये रद या अस्वीकृत किये जाने का अधिकार सक्षम प्राधिकार (कार्यपालक अभियंता) को सुरक्षित रहेगा।
18. संबंधित मद में आवंटन उपलब्ध रहने की स्थिति में ही भुगतान का दावा मान्य होगा।
19. नियमानुसार जी०एस०टी० एवं इंकम टैक्स की कटौती भुगतान की जाने वाली राशि से कर ली जायेगी।
20. कोटेशन खोलने की निर्धारित तिथि एवं समय पर वाहन मालिक/आपूर्तिकर्ता/फर्म या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। अनुपस्थित रहने की स्थिति में बाद में उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा।
21. सभी वांछित कागजात सही पाये जाने एवं एक से अधिक समान न्यूनतम दर के कोटेशन प्राप्त होने पर वैध कोटेशनदाता के बीच लॉटरी के माध्यम से वाहन मालिक/आपूर्तिकर्ता/फर्म का चयन किया जायेगा।

विस्तृत जानकारी हेतु कार्यालय अवधि में प्रमंडलीय कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

ह०/–
कार्यपालक अभियंता
सोन बराज प्रमंडल, इन्द्रपुरी

पत्रांक :– 914 इन्द्रपुरी/ दिनांक 08/06/2026

प्रतिलिपि :– सूचना एवं जन सर्म्पक पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

08/06/2026
कार्यपालक अभियंता
सोन बराज प्रमंडल, इन्द्रपुरी
08.6.2026